

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ  
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति माह 11/2019

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुल लम्बित वाद	81	3841	540	470	1869	6801	402
2	प्रतिशपथ पत्र दाखिल	51	3574	520	464	1793	6402	386
3	कुल अवशेष वाद	30	267	20	6	76	399	16
4	आवश्यकता नहीं	16	112	0	2	23	153	1
5	अवशेष वाद	14	155	20	4	53	246	15

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)



	योग	57	43	12	2	2563	2388	128	47	410	391	19	0	367	361	4	2	1747	1676	51	20
	यांत्रिक संगठन																				
27	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	4	4	0	-	332	322	9	1	21	21	0	0	17	17	_	_	44	40	2	2
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	5	3	2	_	276	269	7	_	29	29	0	-	9	9	_	_	36	36	-	_
29	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	1	1	-	_	300	298	2	_	35	34	1	_	30	30	_	_	32	32	0	_
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	2	0	0	2	266	222	9	35	37	37	0	_	24	24	0	_	0	0	0	0
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	12	0	_	12	104	75	0	29	8	8	0	_	23	23	0	0	10	9	-	1
	योग	24	8	2	14	1278	1186	27	65	130	129	1	0	103	103	0	0	122	117	2	3
	महायोग	81	51	14	16	3841	3574	155	112	540	520	20	0	470	464	4	2	1869	1793	53	23

कुल लम्बित वाद - 6801

प्रतिशपथ दाखिल 6402

प्रतिहस्ताक्षरित

अवशेष 246

आवश्यकता नहीं 153

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)



29	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	-	-	-	-	20	20	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	24	24	-	-
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	14	14	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	-	-	-	-	11	11	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	0	0	0	0	104	104	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0
	महायोग	0	0	0	0	291	287	3	1	73	61	12	0	2	2	0	0	36	36	0	0

कुल लम्बित वाद - 402

प्रतिशपथ दाखिल 386

प्रतिहस्ताक्षरित

अवशेष 15

आवश्यकता

नही 1

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशाली अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ  
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार वादों की अद्यतन स्थिति माह 11-2019

क्र०सं०	संगठन का नाम	कुल लम्बित वाद	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/अनन्तिम आदेश पारित किये गये।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/अनन्तिम आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अंतिम/अनन्तिम आदेशों का अनुपालन किया जाना शेष है।	वादों जिनमें अनुपालन शेष है।					वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है।	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
						जिनमें रिब्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है।	जिनमें एस०एल०पी० दायर है।	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु लम्बित है।			
									विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मु०अ०शारदा सहा० लखनऊ	162	162	134	28	25	0	-	1	2	-	-
2	मु०अ०, सोन, वाराणसी	738	53	46	7	-	-	-	1	2	-	-
3	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	23	23	22	1	-	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, गंगा, मेरठ	198	27	25	2	1	0	-	2	0	0	-
5	मु०अ०, शारदा, बरेली	140	61	30	31	0	-	-	0	0	-	-
6	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	327	15	13	2	7	1	-	-	0	0	-
7	मु०अ०, यमुना ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, परि०बेतवा, झांसी	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
10	मु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	213	23	18	5	-	-	0	-	-	-	-
11	मु०अ०, बेतवा, झांसी	14	14	14	0	-	-	-	-	-	-	-
12	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	7	7	2	5	2	-	-	1	-	-	-
14	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	मु०अ०, कनहर, मिर्जापुर	37	5	4	1	0	-	-	0	-	-	-
16	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	44	41	38	3	0	-	-	-	0	0	-
17	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	27	6	5	1	1	1	-	-	-	-	-
19	मु०अ०, अनु० एवं सम० वा० सहा० लखनऊ	20	20	20	0	0	-	-	1	-	-	-
20	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अलीगढ़	19	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अयोध्या	7	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-
22	मु०अ०, अनु० एवं नियो० (बाद), लखनऊ	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-

23	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	4	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	1	1	0	1	-	-	-	-	0	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	4	4	4	0	0	0		0		-	-
26	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी.ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	374	342	294	48	43	5	-	-	0	-	
28	मु0अ0, नलकूप वाराणसी	443	62	33	29	6	1	0	-	-	-	-
29	मु0अ0, नलकूप मध्य, लखनऊ	519	121	71	50	45	0	0	3	0	-	2
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	376	53	17	36	17	1	12	4	1	1	0
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	157	48	4	44	30	12	2	0	0	0	-
	योग	<b>3865</b>	<b>1112</b>	<b>813</b>	<b>299</b>	<b>177</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिसासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

मासिक सूचना नवम्बर -2019

विभाग का नाम- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ  
मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

क्र0 सं0	माह जनवरी 2012 से माह नवम्बर 2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह नवम्बर 2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष है।			अभियुक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1433	1084	2517	1313	976	2289	89	41	130	31 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 67 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 31+67=98

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)



विभाग का नाम- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ  
मा० न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

क्र० सं०	संगठन	माह जनवरी 2012 से माह नवम्बर 2019 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह नवम्बर 2019 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष है।			10
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	1	19	20	1	19	20	0	0	0	
2	सु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	
3	सु०अ०, अनु० एवं नियो० (बाढ), लखनऊ	0	4	4	0	3	3	0	1	1	
4	सु०अ०, अनु० एवं सम० वा० सहा० लखनऊ	4	6	10	4	6	10	0	0	0	
5	सु०अ०, अनु० एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	सु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	90	29	119	84	27	111	6	2	8	
7	सु०अ० शारदा सहा० लखनऊ	59	216	275	50	142	192	2	18	20	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में तथा मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (07+56=63)
8	सु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	
9	सु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	3	121	124	3	114	117	0	2	2	1- 02 वाद में सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2- 03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी०ए० दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
10	सु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	89	13	102	73	13	86	5	0	5	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 11 वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
11	सु०अ०, परि० बेतवा, झांसी	102	13	115	85	11	96	17	2	19	
12	सु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	3	3	6	3	3	6	0	0	0	
13	सु०अ०, रामगंगा, कानपुर	143	15	158	139	14	153	4	1	5	
14	सु०अ०, शारदा, बरेली	29	124	153	29	119	148	0	5	5	
15	सु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	18	3	21	14	3	17	1	0	1	03 वादों में सी०ए० दाखिल करने आवश्यकता नहीं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद
16	सु०अ०, सोन, वाराणसी	182	16	198	160	16	176	22	0	22	
17	सु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	22	32	54	20	32	52	2	0	2	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	सु०अ०, बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	

19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	9	0	9	0	0	0	9	0	9	
20	मु0अ0कनहर, मिर्जापुर	22	1	23	21	1	22	1	0	1	
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 11/2019 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजत वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या-3650/एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, बानाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक07-08-2014 को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा निर्णय पारित करते हुये रिट याचिका को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना हेतु मुख्य अभियन्ता, कार्मिक-7 के पत्र संख्या-171ई-7/दिनांक 28-01-2019 के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या-4668(क)सत्ताईस-1-2018-09डब्लू0पी0/12, दिनांक 26-12-2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर को विशेष कार्याधिकारी (ग्रेट पे-4200/-) के पद पर नियुक्त हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा दिनांक 07-08-2014 की अनुपालना हेतु कार्यवाही शासन के सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा की जानी है।
22	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
23	मु0अ0, यमुना ओखला नई दिल्ली	9	3	12	0	0	0	4	1	5	05 वाद मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एवं 02 वाद मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (कुल- 5+2=7)
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी, ओखला, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य है।
25	मु0अ0, नलकूप मध्य, लखनऊ	88	162	250	87	161	248	1	1	2	
26	मु0अ0, नलकूप वाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	34	126	160	30	123	153	4	3	7	
28	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	149	90	239	143	87	230	6	3	9	
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	35	17	52	30	14	44	0	0	0	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 05 एवं 03 वादों मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
30	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1433	1084	2517	1313	976	2289	89	41	130	31 वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 67 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 31+67=98

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमर सिंह)  
अधिशारी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमर सिंह)  
मुखय अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालयवार अवमाननावादों का विवरण जिसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। माह 11-2019

क्रम संख्या	संगठन का नाम	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मु0अ0,बाण सागर, प्रयागराज	0	1	0	0	0	1
2	मु0अ0, (यमुना), ओखला नई-दिल्ली	0	1	0	0	0	1
3	मु0अ0, शारदा सहायक, लखनऊ	0	1	7	0	0	8
4	मु0अ0, सोन, वाराणसी	0	0	2	0	0	2
5	मु0अ0,शारदा, बरेली	0	0	1	0	0	1
6	मु0अ0,सरयू-2, गोण्डा	0	0	1	0	0	1
7	मु0अ0, अग्रिम नियोजन, लखनऊ	0	0	1	0	0	1
	योग	0	3	12	0	0	15

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 11/2019 तक जिनमें प्रतिशत-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्रम संख्या	मण्डल खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद नाम	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता बाण सागर, प्रयागराज।									
1	बाणसागर-नहर निर्माण खण्ड-1, प्रयागराज	2245/2019	शालिनी यादव व अन्य	श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, सचिव उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ व श्री भूपेन्द्र शर्मा, मुख्य अभियन्ता, सिं0एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0लखनऊ	11039/2018	अवर अभिन्यता के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाय।	-	मा0 न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित आदेशों का अनुपालन प्रक्रिया में है।	-
मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला नई-दिल्ली।									

2	सिंचाई खण्ड बडौत बागपत	1484/2019	श्रीमती विनय कुमारी	उत्तर प्रदेश सरकार	48406/201 9	मा0 उच्च न्यायालय के निर्णीत आदेश ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड हापुड़ के विघटन हो जाने के फलस्वरूप नव सृजित खण्ड सिंचाई खण्ड बडौत बागपत में समय से प्राप्त न हो पाने के कारण अवमानना वाद दायर हुआ।	श्री शक्ति कुमार, भण्डार पाल का सेवा निवृत्ति पूर्व पत्नी के साथ मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में तलाक हेतु वाद चल रहा था, परन्तु श्री शक्ति कुमार ने अपनी अधिवर्षता आयु 30-09-2006 को पूर्ण होने के उपरान्त सेवा निवृत्त होने पर पेंशन प्रपत्र के देयक भुगतान के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये पारिवारिक घोषणा पत्र में श्रीमति विनय कुमारी का नाम दर्शाते हुए दिनांक-01-11-1990 से मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में संबंध विच्छेद का वाद विचाराधीन होना अकित करते हुए पारिवारिक पेंशन में पत्नी के स्थान पर पुत्र को पेंशन प्रपत्र भाग-1, पर नामित किया गया था। दिनांक- 15-02-2008 को याची के पक्ष में निर्णय पारित किया है। श्रीमति विनय कुमारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री शक्ति कुमार, भण्डारपाल की मृत्यु उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के पारित निर्णय के आधार पर वाद योजित किया गया, जिसका निर्णय ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड
---	---------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	----------------	--	--

								के विघटन हो जाने के कारण, नवसृजित खण्ड सिंचाई खण्ड बडौत में देरी से प्राप्त हुए जिस कारण अवमाननावाद दायर हुआ।	
<b>मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।</b>									
3	लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ	1122/सी/201 9	सुरेन्द्र कुमार यादव	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव सिंचाई	35806/एस0 एस0/2018	मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-19-12- 2018 का अनुपालन न होने के कारण	-		विचाराधी न
<b>मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।</b>									
<b>मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।</b>									
1	बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर बाराबंकी	133/सी/2019	श्री साबिर अली	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव सिंचाई	निर्देश याचिका सं0- 773/2014	निर्णय दिनांक- 20-04-2019 का अनुपालन न करने के सम्बन्ध	-	विधिक कार्यवाही की जा रही है।	-
2	सिंचाई खण्ड, लखनऊ	06/2019	श्री एस0 के0 मार्केण्डय बनाम	श्री टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव व अन्य	नि0या0 1534/17	ग्रेच्युटी पर व्याज के सम्बन्ध में	-	वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग के पत्रांक-1242 दि0 14-06-2019 द्वारा व्याज परिगणना चक्र शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है स्वीकृति उपरान्त भुगतान की कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से की जायेगी। सुनवाई हेतु दि0 20-11-2019 की तिथि निर्धारित थी।	-

3	सिचाई खण्ड- प्रथम	अवमाननावाद सं0- 373/2015	दुर्लभ कुमार	श्री दीपक सिंघल (प्र0 सचिव सिंचाई)	1378/2014	पारित आदेश दि0 21-05- 2015 में ग्रेड पे रू0 8700/- न देने के सम्बन्ध में।	-	पारित आदेश दिनांक-21-05- 2015 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में वाद सं0- 7860/एस0बी0/2017 दाखिल की गयी है।	-
4	सिचाई खण्ड- प्रथम	अवमाननावाद सं0- 196/2016	अमर कुमार	श्री दीपक सिंघल (प्र0 सचिव सिंचाई)	427/2014	पारित आदेश दि0 11-01- 2016 में ग्रेड पे रू0 8700/- न देने के सम्बन्ध में।	-	पारित आदेश दिनांक-21-05- 2015 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में वाद सं0- 25210/एस0बी0/2016 दाखिल की गयी है।	-
5	सिचाई खण्ड- प्रथम	अवमाननावाद सं0- 197/2019	एस0 के0 श्रीवास्तव	श्री दीपक सिंघल (प्र0 सचिव सिंचाई)	428/2014	पारित आदेश दि0 30-11- 2015 में ग्रेड पे रू0 8700/- न देने के सम्बन्ध में।	-	पारित आदेश दिनांक-21-05- 2015 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में वाद सं0- 25233/एस0बी0/2016 दाखिल की गयी है।	-
6	सिचाई खण्ड- प्रथम	अवमाननावाद सं0- 173/2019	बालेश्वर प्रसाद त्यागी	श्री टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, (सिंचाई)	1436/2017	पारित आदेश दि0 21-08- 2018 में उच्चतम वेतन पाने के सम्बन्ध में	-	पारित आदेश दिनांक-21-08- 2018 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में वाद शासन स्तर से कहा गया है।	-



7	सिंचाई खण्ड- प्रथम	अवमाननावाद सं०- 198/2016	के० के० श्रीवास्तव	श्री दीपक सिंघल (प्र० सचिव सिंचाई)	429/2014	पारित आदेश दि० 30-11- 2015 में ग्रेड पे रू० 8700/- न देने के सम्बन्ध में।	-	पारित आदेश दिनांक-21-05- 2015 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में वाद सं०- 25206/एस०बी०/2016 दाखिल की गयी है।	-
<b>मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, वाराणसी।</b>									
8	चन्द्रप्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	59/2018	रामसेवक, वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता	टी० वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	572/2012	वैयक्तिक वेतनमान के सम्बन्ध में।	-	अवमाननावाद संख्या-59/2018 रामसेवक बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश के क्रम में भुगतान की कार्यवाही की जानी है। श्री राम सेवक सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता का द्वितीय वर्तमान स्तरानुसंगत स्वीकृतोपरान्त वेतन निर्धारित कर अवशेष एरियर का भुगतान कर दिया गया है। उपरोक्त अवमाननावाद में दिनांक- 16-09-2019 की तिथि नियत थी।	-

9	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	76/2019	राम बचन सिंह, सहायक अभियन्ता	टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	2136/2018	ए0सी0पी0 के संबंध में	-	प्रमुख अभियन्ता (ई-2) ने पत्र संख्या-1480/ई-2/ए0सी0पी0 दिनांक-03-05-2019 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि प्रकरण का परीक्षण वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ से कराया गया। श्री राम बचन सिंह की विभाग में तदर्थ नियुक्ति की गयी थी। इन्हें दिनांक- 22-03-1983 को अवर अभियन्ता के पद विनियमित किया गया। इन्हें समय मान वेतन मान तदर्थ सेवा में जोड़कर दिये गये हैं, जो शासनादेशों के विरुद्ध है। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 11-11-2019 नियत है।
---	------------------------------------	---------	---------------------------------------	---	-----------	--------------------------	---	---

**मुख्य अभियन्ता (शारदा) बरेली।**

10	लखनऊ खण्ड, शा0न0 लखनऊ	116/2019	दिनेश सिंह सचान	टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	830,831,83 2/2018	प्रोन्नति के सम्बन्ध में	प्रतिशपथ- पत्र दाखिल नही	प्रकरण शासन के अनु0-1, से सम्बन्धित है अनुपालन आख्या शासन से विचाराधीन है सुनवाई की तिथि 18-09-2019 निर्धारित थी।	सिं0 अनु0-2,
----	-----------------------------	----------	--------------------	---	----------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	-----------------

**मुख्य अभियन्ता सरयू-2, गोण्डा।**

11	स0न0ख0-5, गोण्डा	118/2014	गिरधर गोपाल	श्री दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	139/2010	श्रम न्यायालय द्वारा वादी कर्मचारी श्री प्रमोद कुमार तिवारी को रू0	आख्या दाखिल की जानी है।	वादी से वसूली की गयी धनराशि रू0-116291.00 में से उनके अंश रू0-31841.00 की धनराशि की वसूली का समायोजन करते हुए शेष धनराशि का 08 प्रतिशत
----	---------------------	----------	----------------	---	----------	--	-------------------------------	--

						116291.00 के भुगतान का आदेश दिया गया है। उक्त के क्रम में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा कटौती की राशि तथा 8 प्रतिशत व्याज के भुगतान के आदेश दिये गये है अनुपालन न होने के कारण तत्क्रम में वादी द्वारा अवमाननावाद योजित किया गया है।		व्याज के साथ भुगतान सर्वेक्षण अनुसंधान लखनऊ द्वारा किया जाना है। व्याज के भुगतान हेतु शासन से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। तथा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष धनराशि रु0 84450.00 का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है। अगली तिथि निर्धारित नहीं है।	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ।**

12	सर्वेक्षण एवं अनुसंधान एवं नियो0 मण्डल-4, लखनऊ सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	अवमाननावाद संख्या- 188/2016	सुशील कुमार जिन्दल	श्री सुरेश चन्द्रा व अन्य	निर्देश याचिका संख्या- 13413/ एस0बी/2016	-	-	याची से0नि0 मुख्य अभियन्ता के उपादान, पेशन एवं राशिकरण के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज से सम्बन्धित है। अनुपालन आख्या अधिष्ठान अनु0-1, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता से अपेक्षित है। पिछली सुनवाई की तिथि 05-11-	-
----	---	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--	---	---	--	---

खण्ड लखनऊ (द्वितीय उपखण्ड)								2019 निर्धारित थी अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 06- 01-2020 निर्धारित है।	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्रतिहस्ताक्षरित

(जितेन्द्र कुमार सिंह)  
अधिशायी अभियन्ता (वि0प्र0)

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

(कुमार विप्लव)  
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)